



21/7/15 DD

स्ट्रे / 2777/PBR/15

Resro- PBR/15

राजस्व अपील कं. 3000पी.बी.आर/2012

प्रस्तुति दि. 18.08.2015

श्रीमान माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर (इंदौर)

अशिष पिता गुरुदिन व अन्य -- अपिलार्थीगण  
विरुद्ध

युसुफ पिता यासिन व अन्य -- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत आदेश धारा 35(3) म.प्र.भू.रा.सं

अपिलार्थीगण कि और से निवेदन हैं कि

श्रीमान श्री युसुफ  
अपिलार्थीगण  
को 18.8.15  
के एडवोकेट  
म.प्र.  
अ

1. यह कि, उपरोक्त राजस्व अपिल अपिलार्थीगणो द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत कि थी
2. यह कि, उक्त अपिल वर्ष 2012 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि थी। राजस्व मंडल दिनांक 19.08.2015 को देखने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अपिल दिनांक 21.07.2015 को अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दी गई थी ।
3. यह कि, उक्त अपिल कि दिनांक 18.03.2015 को न्यायालय में उपस्थित होकर अगली पेशी दिनांक 13.05.15 नोट की थी। दिनांक 13.05.2015 को न्यायालय में उपस्थित होकर केस लिस्ट में उस दिन उक्त अपिल संम्मिलित नहीं हुआ था जिस कारण उक्त अपिल की अग्रिम पेशी दिनांक नोट नहीं कि थी ।
4. यह कि, उक्त अपिल दिनांक का ज्ञान त्रुटिवंश अगली राजस्व मंडल की न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण नोट नहीं कि जा सकी

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त आवेदन स्वीकार कर दिनांक 21.07.2015 के आदेश को पास कर उक्त अपिल की अगली पेशी दिनांक देने कि कृपा होवे।

इन्दौर

दिनांक: 18.8.15

प्रस्तुतकर्ता

*(Signature)*  
अपिलार्थीगण

20.10.2015

अवेदकगण की ओर से  
की अशीष मुख अभिभाषक  
उपस्थित। तब सुने गये। अनुपास्थिति  
का कारण समाधानकारक होने  
से मुख प्रकण पुनर्स्थापित किया  
जाता है। उस प्रकण में  
कोई कार्यवाही शेष नहीं  
होने से समाप्त किया जाता  
है।

सं. 2/15

अध्यक्ष